न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 289 / 2023

अनवान : –

1. भादरराम पुत्र दूनी उर्फ दुनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. कृष्णा पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. जयसिंह पुत्री गिरदावरी पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. धनकोरी पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. धनराज पुत्र गिरदावरी पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. परमेश्वरी पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. मुखराम पुत्र दुनी दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. माया पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
9. रामप्रताप पुत्र दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
10. संतो देवी पुत्री दूनी उर्फ दूनीराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
12. उप पंजीयक कार्यालय उप तहसील खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री सुनील धिंटाला अधिवक्ता **सायल**
2. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 19/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक ढंढेला बारानी तहसील नोहर के खात स0 91 की कुल 9.6750 हैक्ट बारानी प्रथम व रोही मौजा चक भगवान तहसील नोहर के खाता स0 121/114 की कुल 9.95350 हैक्ट भूमि व रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 66 की कुल 15.4790 हैक्ट बारानी भूमि सायल व गैरसायलान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। गैरसायलान काफी तेज तर्रार व झगड़ालु किस्म के आदमी है व बिना खाता विभा[illegible]ये सड़क के नजदीक की भूमि की काबिज होकर अच्छी किस्म की भूमि [illegible] है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो गैरसायल[illegible] अपूर्णीय क्षति होगी। अतः अप्रार्थी[illegible]को ताफैसला

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि का जब तक खाता व विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक ढंढेला बारानी तहसील नोहर के खात स0 91 के खसरा न0 403 की 9.6750 हैक्ट व रोही मौजा चक भगवान तहसील नोहर के खाता स0 121/114 के खसरा न0 461 की 9.5350 हैक्ट भूमि व रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 66/62 के खसरा न0 10, 386, 42, 420 की 15.4790 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की वाद भूमि मुश्तरका है एवं मुश्तरका खाता की भूमि पर सायल अपने सहकाश्तकारों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो हम हमारे काश्तकारी हकूको से वंचित हो जायेगे केसीसी आदि नही ले सकेंगे हमें अपूर्णीय क्षति होगी तथा भारी नुकसान होगा इसलिए प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की वादी भूमि का खाता व लगान मुश्तरका दर्ज है। गैरसायलान काफी तेज तर्रार व झगड़ालु किस्म के आदमी है व बिना खाता विभाजन करवाये सड़क के नजदीक की भूमि की काबिज होकर अच्छी किस्म की भूमि को बेचान करना चाहते है। यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो गैरसायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसके कारण सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया की वाद खाता विभाजन का है। वाद भूमि अप्रार्थीगण द्वारा किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा रहा है केवल राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने हक व हिस्सा का बेचना किया जा रहा है, कोई भी खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा का रहन, बैय करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक ढंढेला बारानी तहसील नोहर के खात स0 91 की कुल 9.6750 हैक्ट बारानी प्रथम व रोही मौजा चक भगवान तहसील नोहर के खाता स0 121/114 की कुल 9.95350 हैक्ट भूमि व रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 66 की कुल 15.4790 हैक्ट बारानी भूमि सायल व गैरसायलान के नाम खसरा में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। मुश्तरका

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:56 IST
Reason: SignAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल किया जा रहा है न कि किसी विशेष भू भाग/ख0न0 को रहन व बैय कर रहे है चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने हक व हिस्से को ही रहन, बैय किया जा रहा है न कि प्रार्थी के हिस्से को अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 22.11.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 19/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:56 IST
Reason: SelfAttested